

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)




आदेश पत्रक

50

शिवना महली

वनाम

ललित कुमार मौकी वगैरे

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम. 39 / 2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>सुनार(बु)</u> के अप्राथमिकी सं०-07/18 दिनांक-29-3-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>आपसी विवाद का लेवल उभय पक्ष में विवाद है</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति शुभ्य होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति शुभ्य हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं प्रायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 11-05-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p> 26/4/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित / उभय पक्ष उपस्थित / उभय पक्ष उभाव दाखिल करी / दिनांक 28-05-18 को रखी</p> <p> 11/5/18</p>	

11-05-18

दिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
24-09-18	<p>आभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता हाजरी दितीप पत्र उपलब्ध । समय पत्र अगली लिथि की अवकाश दालित की । दिनांक 05-10-18 को रखे ।</p> <p style="text-align: right;"><i>24/10/18</i></p>
05-10-18	<p>समय पत्र अधिवक्ता हाजरी दी गयी कर्षणदृष्टि कर्षणाला के भाग लेने लेख रखी की । अगली लिथि 26-10-18 ।</p>
26-10-18	<p>आभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता हाजरी दितीप पत्र उपलब्ध । समय पत्र अवकाश दालित की दिनांक 16-11-18 को रखे ।</p> <p style="text-align: right;"><i>26/10/18</i></p>
16-11-18	<p>आभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र उपलब्ध दितीप पत्र अधिवक्ता</p>

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

हाजरी। इकल वाद में 6 (छः) माह की
अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद
कालबाधित हो गया है। अतः वाद में
अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।


16/11/18